रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड IV
PART II—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 1979/अग्रहायण 7, 1901
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 28, 1979/AGRAHAYANA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1979

का. नि. आ. 10-ई.—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 99-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिसम्बर, 1979 से जनवरी, 1980 तक की अवधि में, लोकसभा के मध्यावधि आम निर्वाचनों के संचालन के लिए, निर्वाचन आयोग की ओर से ड्यूटी पर लगाए जाने वाले सभी यानों को, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सभी छावनियों की स्थानियों सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यानों पर अधिरोपित सभी प्रकार के करों के संदाय से छूट देती है ।

[फाइल सं. 53/8/सी/एल एण्ड सी/74/3656/सी/डी(कैन्टस)]
बी. बी. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1979

S.R.O. 10(E).—In exercise of the powers conferred by section 99A of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby exempts all vehicles used on duty on behalf of the Election Commission in connection with the conduct of Mid-term general elections to the Lok Sabha during December 1979 to January 1980, from the payment of any tax imposed on vehicles under the provisions of the said Act, within the local limits of any Cantonment situated in the State of Uttar Pradesh.

[File No. 53/8/C/L&C/74/3656/C/D(Cantts)]

B. B. SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979